भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 83
उत्तर देने की तारीख 2 दिसंबर, 2024
सोमवार, 11 अग्रहायण 1946 (शक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थी

*83. **श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर: श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्रदान की गई नौकरियों का दादरा और नागर हवेली, मुंबई और छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) सहित महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में राज्य-वार/जिला-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) देश के सभी युवाओं को लाभान्वित करने के लिए उपर्युक्त राज्यों में विशेषतः छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) सहित महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में उक्त योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के संबंध में श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर और श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर द्वारा दिनांक 02.12.2024 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *83 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) विगत पांच वित्तीय-वर्षों और वर्तमान वित्तीय-वर्ष (अर्थात 2019-25) के दौरान दिनांक 31.10.2024 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) इस स्कीम के पहले तीन चरणों में अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जो कि पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 है, जिसे वित्त-वर्ष 2015-16 से वित्त-वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और वे इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख हैं। इसके अलावा स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

(ग) पीएमकेवीवाई स्कीम छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) को कवर करते हुए महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में लागू की गई है।

एमएसडीई ने टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापक मल्टीमीडिया अभियानों के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत उपलब्ध पाठ्यक्रमों के बारे में महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों को कवर करते हुए भारत के नागरिकों को सूचित करने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान और प्रचार गतिविधियाँ, स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मीडिया के साथ आवधिक मीडिया ब्रीफिंग; सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय भागीदारी; और सामुदायिक सहभागिता पहल शुरू की हैं। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), दूरदर्शन, माईगव और अन्य एजेंसियों के माध्यम से नियमित प्रेस विज्ञप्तियाँ भी जारी की गई हैं।

इस स्कीम में जानकारी का प्रसार करने और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों के हमारे व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जागरूकता भी सृजित की गई है। एमएसडीई की डिजिटल पहल - 'स्किल इंडिया डिजिटल हब' (एसआईडीएच) का उपयोग करके, नागरिक पीएमकेवीवाई पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन करा सकते हैं और उन निकटतम केंद्रों का पता लगा सकते हैं जहाँ यह स्कीम चल रही है।

अनुबंध

31.10.2024 तक, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (एफवाई) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (अर्थात, 2019-25) के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या:

क्र.सं.	राज्य क्षेत्रसंघ राज्य/	वित्तीय वर्ष 19-20	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,259	1,464	613	310	648	869
2.	आंध्र प्रदेश	1,05,667	66,404	13,199	5,798	32,421	25,417
3.	अरुणाचल प्रदेश	15,700	51,991	8,884	667	4,152	9,079
4.	असम	1,98,896	3,62,506	24,517	8,721	38,189	65,385
5.	बिहार	1,91,902	96,288	47,643	12,213	23,583	66,747
6.	चंडीगढ़	9,507	3,834	893	491	319	559
7.	छत्तीसगढ	46,548	16,151	9,495	4,356	8,367	11,687
8.	दिल्ली	1,46,205	55,121	19,965	2,262	10,686	7,024
9.	गोवा	4,300	1,709	604	176	183	138
10.	गुजरात	1,55,195	48,489	35,001	6,503	19,975	35,979
11.	हरियाणा	1,75,386	54,719	18,191	8,963	27,365	50,757
12.	हिमाचल प्रदेश	48,870	15,612	8,724	3,539	5,348	12,696
13.	जम्मू और कश्मीर	1,22,659	58,927	21,339	7,352	28,875	72,228
14.	झारखंड	1,20,103	15,452	34,233	5,302	8,796	24,755
15.	कर्नाटक	1,65,247	53,066	23,153	8,410	13,025	35,014
16.	केरल	78,523	31,077	12,968	5,673	8,802	7,866
17.	लद्दाख	1,937	181	731	246	445	283
18.	लक्षद्वीप	60	90	120	-	-	120
19.	**मध्य प्रदेश**	**2,23,483**	**95,403**	**46,659**	**21,345**	**34,833**	**1,94,907**
20.	**महाराष्ट्र**	**6,37,002**	**1,48,352**	**39,864**	**14,913**	**35,257**	**52,495**
21.	मणिपुर	28,962	34,540	6,424	1,146	2,879	12,330
22.	मेघालय	11,999	17,769	3,406	1,245	2,502	6,467
23.	मिजोरम	10,837	11,433	4,742	1,162	3,533	4,560
24.	नागालैंड	17,364	14,399	4,184	1,803	3,830	5,148
25.	ओडिशा	2,39,050	68,828	12,645	12,116	21,428	21,628
26.	पुदुचेरी	7,172	3,241	1,622	689	1,556	1,725
27.	पंजाब	97,681	57,054	18,539	7,568	11,816	89,029
28.	राजस्थान	4,46,900	97,822	38,511	9,232	23,551	2,15,296
29.	सिक्किम	5,123	3,634	1,322	381	2,802	2,436
30.	तमिलनाडु	1,85,108	72,404	29,057	8,029	34,507	58,685
31.	तेलंगाना	1,08,145	33,999	13,107	8,040	15,390	14,834
32.	**दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव**	**5,338**	**222**	**252**	**31**	**301**	**1,092**
33.	त्रिपुरा	50,388	46,676	4,490	1,608	5,081	10,394
34.	उत्तर प्रदेश	6,56,829	2,39,286	69,015	25,568	71,530	3,17,466
35.	उत्तराखंड	68,250	29,412	10,522	2,942	11,584	30,951
36.	पश्चिम बंगाल	1,77,880	53,221	31,406	12,370	25,766	25,774
योग		**45,65,475**	**19,60,776**	**6,16,040**	**2,11,170**	**5,39,325**	**14,91,820**

*****